

प्रेमक,

श्री अशोक यादव,
संयुक्त शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सुविध,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिल्डिंग फ्लोर 2 इन्दौर रोड,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

सिधा 171 अनुभाग

संबन्ध: दिनांक: 17 जुलाई 1998

विषय:- इकरा पब्लिक स्कूल न्यू तर हैबट नगर इकाटेन्सन अलीगढ़ को सी0बी0एस0
60 नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सिधा जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह क्ले का निदेश हुआ है कि इकरा पब्लिक
स्कूल न्यू तर हैबट नगर इकाटेन्सन अलीगढ़ को सी0बी0एस0 नई दिल्ली से सम्बन्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सिधे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों
के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संशुद्ध तैयारी का तमाम समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित और उसके उत्तरे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारित विद्य भर्षों में विभिन्न स्तरों के सिधे नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/शैक्षणिक फंडर दि संयुक्त स्कूल सर्विसेज इकाटेन्सन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस पराधा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के अधिक स्वीकृत कर्मचारियों को राजकीय स्थायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा सुविधाओं से कम वेतनमान तथा अन्य भर्षों नहीं सिधे जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा में क्वालिफिकेशन और उनके तैयारी असासबोध उपरत माध्यमिक विद्य भर्षों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Varam

PRINCIPAL
IQRA PUBLIC SCHOOL
ALIGARH

MANAGER
IQRA PUBLIC SCHOOL
ALIGARH

- 17। राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूटर पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिजर्व निर्धारित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन का परिचर्चन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धुंके या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक मांझी ।
संयुक्त सचिव ।

पृष्ठ सं०

111/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यम शैक्षणिक शिक्षा निदेशक, अग्रा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
- 4- निरीक्षक, अग्रिम भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, इकरा पब्लिक स्कूल मोठवाँ-95 इकराकालोनो न्यू तरसैयद नगर इन्फेन्सन अलीगढ़ ।

आगत से,

अशोक मांझी ।
संयुक्त सचिव ।

M. Musul

MANAGER
IQRA PUBLIC SCHOOL
ALIGARH

Karim
PRINCIPAL
IQRA PUBLIC SCHOOL
ALIGARH